Schedule XXI Form No 87 S.N.....

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application 15623

Date of application 22/10/24

Name of applicant

.....

Feed paid 139/-

Stamp Paper for

Date of deposit

Registering Officer

Sub. District Registry Office, Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 15623

चूंकि श्री Sumit Kumar ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में मेरी । में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 19.10.2007 से ता0 20.10.2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा वार्ड नं.	खाता	खेसरा	रकवा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	टि0
1.	Danpuar	Thana No. 38	Hadaspura Danapur	27, 03 11, 12	376 381 382 383 384	45 Dec.		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभार को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया –

नाम Sri Anil Kumar Gupta
U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की –

नाम Rekha Chaudhary
U.D.C

कार्यालय Sub District Registry Office, Danapur

तारीख 22/10/2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते है तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।
3. किन्तु चुंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने आपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी ने की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चुंकि वर्त्तमान मामले मे आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उनके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक 15623 दिनांक – 22/10/2021

शाखा प्रबंधक LICHF के पत्र दिनांक 24/09/2021 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Pulmen Homes J. V.
Sumit Kumar
Authorised Signa